

तारीख
इस
में जारी

कार्टेयालाल जी मूलचंद मीणा v/s लालु जी छेहकुर्ला
वि. मीलावाड़ा जज किंग राजमणी कोठी
वाजदाय प्र. ठे. 07/2017. 53RTA

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

पक्षक: रान को नाटस जारी किये जाकर मत्रावली
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018
फोला रूप केम फ तहन मु मरक...पर
दिनांक 17-5-18 को पेश हो।

17/5/18

पक्षक को राजस्व लोक अदालत न्याय
आपके द्वार/ केम कोर्ट पर प्रस्तुत
हुई/ अधिवक्ता उमचपड़ा उपस्थित।
अधिवक्ता संतोष कुमार पारीक द्वारा
कालुराम पिरा जंदा भील की ओर से
अधिकार पत्र पेश किया जिसे शांति
किया गया। उमचपड़ा अधिवक्ता को एक
उत्पत्ती भेरु, मदन की ओर से
एक धारणा पत्र पेश कर निवेदन किया
कि पूर्व में जारी डिडी व विभाजन
प्रस्ताव से सहमत है। आगे कोई कार्यवाही
नहीं चाहते है। पूर्व में जारी डिडी-
अनुसार उकरण निस्तारण कराने के
आदेश उदान करावे और उसी अनुसार
राजस्व रेकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार
सहाय के नाम तहरीर जारी हेतु निवेदन
किया।
मैंने प्रस्तुत धारणा-पत्र एवं पूर्व
डिडी को 05/10/18 को जारी निर्णय व
डिडी का अवलोकन किया बाद अवलोकन
एवं उमचपड़ा द्वारा प्रस्तुत धारणा-पत्र



वि. मीणा



वि. मीणा

21/5/18

Sunder

कामुल
(राजमणी कोठी)
मंत्रावली
वाजदाय प्र. ठे.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापूर जिला भीलवाडा (राज.)


Contd.

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुकम
की तामी
में जारी हुए

को स्वीकार किया जाता है। एवं पूर्व
में जारी विषय दिनांक 05.10.15 को
अभाव रखने का आदेश दिया जाता
है। उपरोक्त अधीकार सहायक
विषय की पालना अनिवार्य करें।
पत्रावली के लिये शुभारंभ होकर फर्ज
नम्बर से कम है।


सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
भगापुर जिला भीलवाडा (राज.)